<u>स्पीड पोस्ट</u>

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 20 / 06 / 2019

File No. J/1/2019/STGCG/ATOTH/RU-III

सेवा में,

1. **पुलिस महानिदेशक,**
छत्तीसगढ़ पुलिस,
छत्तीसगढ़ शासन,
रायपुर – 492001

2. **पुलिस अधीक्षक,**
जिला – रायगढ़,
छत्तीसगढ

3. **थाना प्रभारी,**
तहसील – लैलुंगा,
जिला – रायगढ़,
छत्तीसगढ

विषयः थाना प्रभारी द्वारा निर्दोष कंवर समाज के जनजाति लोगों को जानबूझ कर फंसाने के संबंध में श्री जदुमणि, ग्राम – किलकिला, पोस्ट – टुरटुरा, तहसील – लैलुंग, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ का अभ्यावेदन के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 30.05.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 30.05.2019 को डा. नंद कुमार साय माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए <u>कार्यवाही रिपोर्ट</u> आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

20/6/2019

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्री जदुमणि,
ग्राम – किलकिला, पोस्ट – टुरटुरा,
तहसील – लैलुंग, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ ।

2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- J/1/2019/STGCG/ATOTH/RU - III)

श्री जदुमणि, ग्राम- किलकिला, पोस्ट- टुरटुरा, तहसील- लैलुंग, जिला- रायगढ़ द्वारा कंवर समाज की लड़की को गांव के ही लोहार समाज के युवक द्वारा भगा ले जाने और उसकी आत्महत्या के मामले में थाना प्रभारी द्वारा निर्दोष पैंकरा कंवर समाज के जनजाति लोगों को जानबूझ कर फंसाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 30.05.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री जदुमणि द्वारा कंवर समाज की लड़की को गांव के लोहार समाज के युवक द्वारा भगा ले जाने और उसकी आत्महत्या के मामले में थाना प्रभारी कंवर समाज के निर्दोष लोगों को जानबूझकर केस में फंसाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आवेदन दिया था। मामले में आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 18.04.2019 को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी।
2. मामले में विभाग द्वारा जवाब प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2019 को स्मरण पत्र भेजा गया।
3. मामले में दिनांक 20.05.2019 को पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ की जांच रिपोर्ट संलग्न था। रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रकाश पैंकरा पुत्र श्री राजकुमार पैकरा को कंवर समाज की लड़की भगाने के मामले में पंचायत में मारपीट की गई साथ ही उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लड़का और लड़की दोनों जनजाति समुदाय के ही थे। पंचायत की कार्रवाई के बाद युवक प्रकाश पैंकरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभ्यावेदक यदुमणि सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
4. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2019 को सिटिंग आहुत की गई थी। सिटिंग में रायपुर पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सुश्री एन. चम्पावत,

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, श्री अर्जुन कुर्रे पु.अ.अ. धरमजयगढ़ और श्री बोनीफास एक्का, निरीक्षक लैलुंगा उपस्थित हुए।

5. आयोग ने पहले अभ्यावेदक का पक्ष जानना चाहा, अभ्यावेदक पक्ष ने बताया कि प्रकाश लोहार द्वारा लीलावती पैंकरा का 3 मार्च 2019 को अपहरण किया गया था। इसके पहले भी लोहार समुदाय द्वारा 3 लड़कियों का अपहरण किया गया था। इसके बाद वो लड़की को लेकर अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। 15 मार्च को लीलावती की शादी होनेवाली थी। इसके बाद कंवर समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री उज्जवल पैंकरा व समाज के अन्य लोगों की उपस्थिति में बैठक की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि लड़का, लीलावती को उसके परिवार को सौंप दे। पंचायत ने लड़के पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पंचायत में 90 लोग उपस्थित थे सबके सामने प्रकाश लोहार द्वारा शर्तनामा दिया गया। इसके बाद घर जाने के बाद वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पंचायत में उसका पंचनामा बना, पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके 24 दिन बाद पुलिस गांव में आई और बिना किसी पूछताछ के ही 7 लोगों को पकड़ लिया गया।

6. थाना लैलुंगा में मृतक के पिता राजकुमार पैंकरा द्वारा दिनांक 12.03.2019 को 12.00 बजे रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 15/19 धारा 174 जा.फौ. कायम कर विवेचना में लिया गया। मर्ग विवेचना में गांववालों द्वारा दिनांक 11.03.2019 को रात्रि 10.30 बजे से दूसरे दिन सुबह 04.30 बजे तक पंचायत किया गया। पंचायत में प्रकाश का हाथ बांधकर मारपीट की गई और 60 हजार रुपये तत्काल देने की बात कहकर छोड़ा गया। उनकी प्रताड़ना के कारण लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मर्ग जांच पर थाना लैलुंगा में अपराध क्रमांक 67/12 धारा 306 भादवि का अपराध अनावेदक मनु पैंकरा, गोपाल यादव, कर्मानंद पैंकरा, सजन पैंकरा, हलधर कोला, यदुमणि, भूपदेव पैंकरा, पहलवान, धनीराम पैंकरा, उसत पैंकरा, करम सिंह पैंकरा, रामसिंह पैंकरा, गांधी पैंकरा, कार्तिक पैंकरा एवं जमुनाडिहा एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया तथा 07 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

7. आयोग द्वारा पुलिस को कहा गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को कस्टमरी लॉ के तहत अपनी पंचायत करने, समाज के नियम बनाने और फैसले करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस द्वारा किस आधार पर उन्हें अपराधी माना गया। इसके पहले भी लोहार समुदाय के लोगों द्वारा लड़कियों का अपहरण किया गया था। पुलिस द्वारा क्यों जनजाति समुदाय

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के लोगों को गिरफ्तार किया गया। लड़की के अपहरण के मामले पुलिस द्वारा पहले क्या कार्रवाई की गई थी।

8. पुलिस द्वारा बताया गया कि दोनों समुदाय जनजाति वर्ग से आते हैं इसलिए पुलिस द्वारा पहले मामला दर्ज नहीं किया गया था।

9. अभ्यावेदक पक्ष ने बताया कि विपक्षी समुदाय जनजाति वर्ग से नहीं आते हैं। उसे समाज द्वारा बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। लड़के की आत्महत्या के बाद पुलिस द्वारा ग्रामीणों से कोई पूछताछ नहीं की गई। सुबह पुलिस गांव में पहुंची और लोगों को पकड़ लिया।

10. आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई : -

- पुलिस द्वारा गलत तरीके से अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज किया गया है अतः पुलिस इसे वापस ले।
- ग्रामीणों को मामले में जल्द से जल्द बेल दिया जाना चाहिए।
- एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और पुलिस द्वारा जनजाति समुदाय के लोगों को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

18.06.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- J/1/2019/STGCG/ATOTH/RU - III)

श्री जदुमणि, ग्राम- किलकिला, पोस्ट- टुरटुरा, तहसील- लैलुंग, जिला- रायगढ़ द्वारा कंवर समाज की लड़की को गांव के ही लोहार समाज के युवक द्वारा भगा ले जाने और उसकी आत्महत्या के मामले में थाना प्रभारी द्वारा निर्दोष पैंकरा कंवर समाज के जनजाति लोगों को जानबूझ कर फंसाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची :

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारी**

1. डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
3. श्री एच. के. डामोर, माननीय सदस्य
4. श्री एच. सी. वसावा, माननीय सदस्य
5. ए. के. सिंह, सचिव
6. डॉ ललित लट्टा, निदेशक

- **छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी**

1. सुश्री एन. चम्पावत, अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
2. श्री राजेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
3. श्री अर्जुन कुर्रे, पु.अ.अ. ,धरमजयगढ़
4. श्री बोनीफास एक्का, निरीक्षक, लैलुंगा

- **अभ्यावेदक**

1. श्री जदुमणि
2. करमानन्दू पैंकरा
3. सुरेश पैंकरा
4. चमर साय पैंकरा